

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 100/2013/जयपुर

सहायक आयुक्त, वृत-ई, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स वी-एक्सपो, 10/20, विद्याधर नगर, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ  
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,

उप राजकीय अभिभाषक

श्री एस. के. जैन, अधिकृत प्रतिनिधि


.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 14/12/2015

निर्णय

1. यह अपील 'राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 274/अपील्स-तृतीय/11-12/ई में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.08.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-ई, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2001-02 का कर निर्धारण आदेश केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9(2) सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 10 के तहत दिनांक 23.02.2004 को पारित किया गया। आलौच्य अवधि के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रुपये 6,24,197/- की अन्तराज्यीय बिक्री 'सी' फॉर्म के समर्थन से दर्शाई गई, किन्तु उक्त बिक्री के पेटे 'सी' फॉर्म प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 8 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रुपये 49,936/- सरचार्ज रुपये 7493/- तथा ब्याज रुपये 33,307/- का आरोपण किया गया, तथा साथ ही घोषणा-पत्र 'सी' प्रस्तुत करने हेतु चार माह का समय भी प्रदान किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2012 से इस आधार पर स्वीकार की गई कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा antedated आदेश पारित किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।




लगातार.....2

3. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.02.2004 को पारित किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश में संशोधन हेतु दिनांक 21.10.2009 को रुपये 2,82,800/- के बकाया घोषणा-पत्र 'सी' प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 07.09.2010 के जरिये प्रत्यर्थी व्यवहारी का उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए सृजित मांग राशि में तदनुसार कमी की गई। जबकि अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया है कि प्रत्यर्थी को कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.02.2004 की प्रति प्रथम बार दिनांक 23.12.2011 को तामील करवाई गई है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी का निष्कर्ष रेकॉर्ड से प्रमाणित नहीं होता है तथा रेकॉर्ड के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी को मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.02.2004 की प्रति पूर्व में ही प्राप्त हो गई थी, जिसमें संशोधन तथा मांग में कमी हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि स्वयं कर निर्धारण अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 745 दिनांक 21.06.2012 में यह स्वीकार किया है कि व्यवहारी को कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.02.2004 की प्रति दिनांक 23.12.2011 को प्राप्त हुई है। इसी आधार पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश को antedated मानते हुए प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।


5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2001-02 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.02.2004 अन्तर्गत केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(2) सपठित अधिनियम की धारा 10 पारित करते हुए, 'सी' फॉर्म के अभाव में 8 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, सरचार्ज व तदनुसार ब्याज का आरोपण किया गया, साथ ही घोषणा-पत्र 'सी' प्रस्तुत करने हेतु चार माह का समय भी प्रदान किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेश की



प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 08.12.2011 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 23.12.2011 को उपलब्ध करवाई गई। उक्त आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा यह माना गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा antedated आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिशून्य होने के कारण चलने योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विवादित आदेश दिनांक 23.02.2004 के सम्बन्ध में बकाया घोषणा-पत्र 'सी' प्रस्तुत करते हुए आदेश में संशोधन किया जाकर मांग में कमी हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 21.10.2009 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए मांग में कमी सम्बन्धी आदेश दिनांक 07.09.2010 पारित किया गया है। उक्त तथ्य से यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को आदेश की जानकारी पहले से थी, जिस बाबत उसके द्वारा यथासंभव कार्यवाही भी की गयी है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी का यह निष्कर्ष कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.02.2004 antedated पारित किया गया है, अभिलेख से प्रमाणित नहीं होता है, बल्कि अभिलेख के विपरीत पारित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी का पत्र दिनांक 21.06.2012, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अंकित किया है कि व्यवहारी को आदेश की प्रति दिनांक 23.12.2011 को उपलब्ध करवाई गई है, रेकॉर्ड से परिलक्षित भूल अथवा तकनीकी त्रुटि की श्रेणी में आती है, जिसमें सम्भवतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह देखने से रह गया कि प्रकरण में व्यवहारी द्वारा पूर्व में संशोधन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है, एवं उक्त प्रार्थना-पत्र पर आदेश भी जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी के उक्त पत्र दिनांक 21.06.2012 के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिनांक 23.12.2011 से पूर्व आदेश दिनांक 23.02.2004 की जानकारी नहीं थी अथवा आदेश दिनांक 23.02.2004 antedated पारित किया गया है।

7. केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन एवं पण्यावर्त) नियम, 1957 के नियम 12(1) व (7) के तहत व्यवहारी द्वारा घोषणा-पत्र 'सी', 'डी' व 'एफ', कर निर्धारण आदेश की दिनांक तक कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना बाध्यकारी है। प्रस्तुत प्रकरण में व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष घोषणा-पत्र 'सी' व 'एफ' प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता है। नियम 12(1) व (7) निम्न प्रकार है :-



लगातार.....4

12.(1) The declaration and the certificate referred to in sub-section (4) of section 8 shall be in Forms "C" and "D" respectively : Provided that form "C" in force before the commencement of the Central sales Tax (Registration and Turnover) (Amendment) Rules, 1974 or before the commencement of the Central sales Tax (Registration and Turnover) (Amendment) Rules, 1976 may also be used to the 31st December 1979 with suitable modifications.

[Provided further that a single declaration may cover all transaction of sale which take place in a quarter of a financial year, between the same two dealers. Provided also that where in the case of any transaction of sale, the delivery of goods is spread over to different quarters in a financial year or of different financial years, it shall be necessary to furnish a separate declaration or certificate in respect of goods delivered in each quarter of financial year.]

(7) The declaration in form "C" or Form "F" or the certificate in Form in form E-1 or Form E-II shall be furnished to the prescribed authority within three months after the end of the period to which the declaration or the certificate relates.


Provided that if the prescribed authority is satisfied that the person concerned was prevented by sufficient cause from furnishing such declaration or certificate within the aforesaid time, that authority may allow such declaration or certificate to be furnished within such further time as that authority may permit.]

8. इसी प्रकार केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8 निम्न प्रकार है :-

**8. Rates of tax on sales in the course of inter-State trade or commerce-**

(1) Every dealer, who in the course of inter-state trade or commerce, sells to a registered dealer goods of the description referred to in sub-section (3), shall be liable to pay tax under this act which shall be four per cent of his turnover or at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate state under the sales tax law of that State, whichever is lower. : Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, reduce the rate tax under this sub-section.

(2) The tax payable by any dealer on his turnover insofar as the turnover or any part thereof relates to the sale of goods in the course of inter-State trade or commerce not falling within sub-section (1), shall be at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate State under the sales tax law of that State.



लगातार.....5

**Explanation** - For the purposes of this sub-section, a dealer shall be deemed to be a dealer liable to pay tax under the sales tax law of the appropriate State, notwithstanding that he, in fact, may not be so liable under that law.

- (3) The goods referred to in clause (b) of sub-section (1) -
- (a) xxx
- (b) are goods of the class or classes specified in the certificate of registration of the registered dealer purchasing the goods as being intended for resale by him or subject to any rules made by the Central Government in this behalf, for use by him in the manufacture or processing of goods for sale or in the telecommunications network or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power ;
- (c) are containers or other materials specified in the certificate of registration of the registered dealer purchasing the goods, being containers or materials intended for being used for the packing of goods for sale;
- (d) are containers or other materials used for the packing of any goods or classes of goods specified in the certificate of registration referred to in clause (b) or for the packing of any containers or other materials specified in the certificate of registration referred to in clause (c).
- (4) The provisions of sub-section (1) shall not apply to any sale in the course of inter-State trade or commerce unless the dealer selling the goods furnishes to the prescribed authority in the prescribed manner a declaration duly filled and signed by the registered dealer to whom the goods are sold containing the prescribed particulars in a prescribed form obtained from the prescribed authority:
- provided that the declaration is furnished within the prescribed time or within such further time as that authority may, for sufficient cause, permit]
- (5) Notwithstanding anything contained in this section, the State Government may on the fulfillment of the requirements laid down in sub-section (4) by the dealer if it is satisfied that it is necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions as may be specified therein, direct,-
- (a) that no tax under this Act shall be payable by any dealer having his place of business in the State in respect of the sales by him, in the course of inter-State trade or commerce, to a registered dealer or the Government from any such place of business of any such


goods or classes of goods as may be specified in the notification, or that the tax on such sales shall be calculated at such lower rates than those specified in sub-section (1) or sub-section (2) as may be mentioned in the notification;

(b) that in respect of all sales of goods or sales of such classes of goods as may be specified in the notification, which are made, in the course of inter-State trade or commerce, to a registered dealer or the Government by any dealer having his place of business in the State or by any class of such dealers as may be specified in the notification to any person or to such class of persons as may be specified in the notification, no tax under this Act shall be payable or the tax on such sales shall be calculated at such lower rates than those specified in sub-section (1) or sub-section (2) as may be mentioned in the notification.

9. उक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2004 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रेकॉर्ड/दस्तावेजों के आधार पर कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए 'सी' फॉर्म के अभाव में अन्तर कर, सरचार्ज व ब्याज का आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं रेकॉर्ड को नजरअंदाज करते हुए अपीलीय आदेश के जरिये प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की गयी है, जिसमें विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। अतः अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय आदेश दिनांक 08.08.2012 अपास्त किया जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।



( मनोहर पुरी )  
सदस्य